प्रेस विज्ञप्ति

25 सितंबर, 2015

‘‘राजस्थान खदान मेगा आबंटन घोटाला’– 45,000 करोड़ रु. से अधिक अनुमानित नीलामी मूल्य का बहुमूल्य खनिज संसाधन बिना नीलामी के वितरित कर दिया गया, जिसमें लगभग 1,43,253 बीघा भूमि (22085.81 हेक्टेयर भूमि) शामिल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 महीने पहले सरकार बनाई थी और वायदा किया था– ‘‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’’। भाजपा सरकार वाले राज्यों– राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में हुए लगातार घोटालों ने उनके इस झूठे वायदे की पोल खोल दी है।

तथ्यः

1. भारत में खनिजों सहित जन संसाधनों का आबंटन केवल नीलामी की प्रक्रिया के द्वारा ही हो सकता है। 12 अप्रैल, 2012 को दिए अपने एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है :–

   ‘‘... प्राकृतिक संसाधनों का आबंटन एक नीतिगत निर्णय है और इसलिए इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया कार्यकारिणी के द्वारा होनी चाहिए। यदि इस तरह के नीतिगत निर्णयों में समाज और लोककल्याण का ध्यान न रखा जाए, या बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को निजी उद्यमियों के द्वारा लाभ कमाने के लिए दे दिया जाए, या फिर उनके आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी का पालन न किया जाए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा...’’

2. 30.10.2014 को (सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद), खदान मंत्रालय, भारत सरकार ने खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 (संक्षेप में 1957 का एमएमडीआर अधिनियम) के सेक्शन 5 के अनुसार एक विस्तृत नीति जारी की। इसकी प्रति **संलग्नक A-1 में** लगी है।

   यह अनिवार्य रूप से कहा गया है, कि :–

   A) यह नीति किसी भी प्रॉस्पेक्टिंग लाईसेंस/माईनिंग लीज़ के लिए सभी लंबित और भविष्य के आवेदनों पर लागू होती है। (30.10.2014 के पत्र का पैरा 4)

   B) किसी भी प्रॉस्पेक्टिंग लाईसेंस/माईनिंग लीज़ की ग्रांट के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला कोई भी ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (एलओआई) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद ही दिया जा सकता है। (दिनांक 30.10.2014 के पत्र में नीति का पैरा 6 संलग्न है)

   C) आवेदन मंगाने के लिए ऑफिशियल गैजेट, राज्य सरकार की वेबसाईट और प्रचार के अन्य माध्यमों से सूचना दिए बगैर लाईसेंस या माईनिंग की कोई भी लीज़ नहीं दी जा सकती है। इसमें बाद में राज्य सरकार के द्वारा खोजे गए डेटा की उपलब्धता, उपलब्ध खनिजों और लाईसेंस दिए जाने के लिए क्षेत्र की सूचना भी शामिल कर ली गई। (दिनांक 30.10.2014 के पत्र में संलग्न नीति का पैरा 5.24 और 5.25)

   D) इस नीति में चयन के मापदंड, नक्शे के लिए दिशानिर्देशों और प्रॉस्पेक्टिंग लाईसेंस/माईनिंग लीज़ आदि के लिए अनुमति की चेकलिस्ट से संबंधित दिशानिर्देश भी शामिल थे।

दिनांक 30.10.2014 की यह नीति सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए संपूर्ण पारदर्शिता और विषयपरक चयन के लिए जारी की गई थी, ताकि किसी व्यक्ति या कंपनी को प्राथमिकता न दी जा सके।

3. 16.11.2014 को भारत सरकार ने 1957 के एमएमडीआर अधिनियम के संशोधन के लिए ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस जारी किया और खदानों की प्रतिस्पर्धी नीलामी को आबंटन का एकमात्र प्रावधान निर्धारित किया। राजस्थान सरकार को यह अध्यादेश 18.11.2014 को प्राप्त हुआ।

4. 12.01.2015 को 1957 का एमएमडीआर अध्यादेश संशोधित किया गया। (पहले अध्यादेश के द्वारा, जो संशोधित अधिनियम, 2015 में शामिल कर लिया गया। इसकी प्रति प्रेस विज्ञप्ति के **संलग्नक A-2** में लगी है। **सेक्शन 10B में खदानों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा खदानों की नीलामी को एकमात्र तरीका निर्धारित किया गया है।**)

5. सेक्शन 10A(2)(b) में कहा गया है, कि प्रॉस्पेक्टिंग लाईसेंस या रिकॉनेसेंस परमिट संशोधित अधिनियम, 2015 से पूर्व ही दिया जा चुका था, इसलिए प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा नीलामी की प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत नहीं थी, और माईनिंग की लीज़ के अधिकार स्वतः ही मिल चुके थे।

घोटाला एवं लूट :

1. **30.10.2014 से 12.01.2015 के बीच मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने 653 खदानों को प्रॉस्पेक्टिंग लाईसेंस/माईनिंग लीज़ जारी कीं, जो 1,43,253 बीघा मतलब 22085.81 हेक्टेयर के बराबर हैं और इनका अनुमानित नीलामी मूल्य 45,000 करोड़ रु. से अधिक है।**

   यह मेगा माईन आबंटन घोटाला दिनांक 12.04.2012 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरा उल्लंघन करता है और दिनांक 30.10.2014 (संलग्नक A-1) को मैन्डेटरी पॉलिसी को एवं केवल प्रतिस्पर्धी बोली, मतलब नीलामी के द्वारा खदानों के आबंटन के वैधानिक दायित्व को नकारता है। राजस्थान के 20 जिलों में फैली 653 खदानों की पूरी सूची एलओआई की तारीखों के साथ **संलग्नक A-3** में संलग्न है।

2. दिनांक 30.10.2014 को स्थापित नीति का दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन करके राजे सरकार ने निम्न तरीके से कानून तोड़ा है :–

   A) 653 प्रॉस्पेक्टिंग लाईसेंस/माईनिंग लीज़ के लिए एलओआई जारी करने से पहले भारत सरकार की अनुमति नहीं ली गई।

   B) 653 प्रॉस्पेक्टिंग लाईसेंस/माईनिंग लीज़ के लिए आवेदन पत्र मंगाने के लिए ऑफिशियल गजट/सरकारी वेबसाईट/एडवरटाईज़ेंट के द्वारा कोई भी सूचना प्रकाशित नहीं की गई। उपलब्ध खनिजों का कोई भी खोज डेटा या विवरण प्रकाशित नहीं किया गया। यहां तक कि खनन के क्षेत्र की सूचना भी नहीं दी गई।

यह सब इसलिए किया गया, ताकि 22085.81 हेक्टेयर में 653 खनिज माईन्स के लिए प्रतिस्पर्धी बोली वाली नीलामी की प्रक्रिया का पालन न करना पड़े। इस धोखाधड़ी से राजकोष को भारी नुकसान हुआ है।

1. मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान सरकार खदानों के आबंटन के लिए काफी जल्दी में थी। राजस्थान के करोली जिले में आबंटित 11 खदानों में से पांच खदानें मात्र 48 घंटे में ही आबंटित कर दी गईं। एक खदान आवेदन किए जाने के 12 घंटों से भी कम समय में आबंटित कर दी गई। इस पूरे कार्य में दुर्भावना, भ्रष्टाचार और लूट साफ दिखाई देती है। करोली जिले की इन 11 खदानों का चार्ट **संलग्नक A-4 में** संलग्न है।

इसी तरह एक खदान अजमेर के अमित शर्मा को आबंटित की गई, जिन्होंने दिनांक 08.01.2015 को आवेदन किया था और उन्हें 12.01.2015 को एलओआई दी गई। इत्तफाक से दिनांक 10.01.2015 और 11.01.2015 राजपत्रित अवकाश के दिन थे। अमित शर्मा ने दिनांक 08.01.2015 को आवेदन किया, खसरा संख्याओं की जांच उसी दिन कर ली गई और फील्ड ऑफिसर को उसी दिन रिपोर्ट भी दे दी गई, फील्ड ऑफिसर ने माईनिंग ऑफिसर को भी रिपोर्ट उसी दिन दे दी और माईनिंग ऑफिसर ने डायरेक्टर, माईन्स को रिपोर्ट उसी दिन मतलब दिनांक 08.01.2015 को ही भेज दी। यह पूरी कार्यवाही मात्र 1 दिन में ही मतलब 09.01.2015 को पूरी कर ली गई और दिनांक 12.01.2015 को एलओआई का आबंटन कर दिया गया। 653 खदानों की सूची (संलग्नक A-3) को ध्यान से देखने पर इस तरह की लूट की कई वारदातें दिखाई देती हैं।

2. चौंकाने वाली बात यह है, कि राजस्थान सरकार ने चूनापत्थर की खदानों को पूर्णतः दंडमुक्त करके आबंटित कर दिया है। निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में 9.89 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ईमामी सीमेंट लिमिटेड को भारत सरकार से पर्यावरण क्लियरेंस लिए बिना, खदानों को बंद करने की प्रस्तावित योजना दिए बिना और लीज़ दिए जाने के लिए सिक्योरिटी राशि रखे बिना और यहां तक कि कीननेस राशि लिए बिना ही आबंटित कर दिया गया। अधिक चौंकाने वाली बात यह है, कि हालांकि यह आवेदन पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन 2015 के अधिनियम को देखते हुए इसे नीलामी की निर्धारित तिथि के बाद 31. 10.2014 की नीति का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ाया गया। इस फाईन की नोटिंग्स की प्रति **संलग्नक A-5** में संलग्न है।

   एक अन्य कंपनी लाफार्ज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड को जैसलमेर में 8.32 वर्ग किलोमीटर की चूना पत्थर खदान आबंटित की गई, जिसमें भी उसी प्रकार उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया गया। इस फाईल्स की नोटिंग्स की प्रति **संलग्नक A-6** में संलग्न है।

   एक अन्य सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट कंपनी को जैसलमेर में एक बार फिर उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए 9.12 वर्ग किलोमीटर की चूना पत्थर खदान आबंटित की गई। इस फाईल की नोटिंग्स की प्रति **संलग्नक A-7** में संलग्न है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में 7.91 वर्ग किलोमीटर की चूनापत्थर खदान का आबंटन वंडर सीमेंट लिमिटेड को कर दिया गया। इस फाईल की नोटिंग्स की प्रति **संलग्नक A-8** में संलग्न है।

धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट, भ्रष्टाचार और साजिश राजस्थान की भाजपा सरकार की पहचान बन गए हैं। हम मांग करते हैं :–

1. राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे, उनके सहयोगी मंत्रियों एवं अन्य अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए; और
2. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में सीबीआई राजस्थान के मेगा माईनिंग घोटाले की जांच करे और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करे।